न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 93/2011

रतना पुत्र श्री सुवा जी जाति रेगर निवासी श्योपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....वादी

बनाम

1. भागचन्द पुत्र श्री देवी
2. धर्मीचन्द पुत्र श्री बिरदा
3. बाबू पुत्र श्री बिरदा
4. गोमा पुत्र श्री बिरदा
5. ब्रहमा पुत्र श्री बिरदा

समस्त जाति रावतान निवासीयान श्योपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर
राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब एवं पंजीयन अधिकारी महोदय, मसूदा जिला अजमेर। .....प्रतिवादी

राजस्व वाद संख्या 103/2011

1. धर्मा उम्र 50 साल
2. बाबू उम्र 47 साल — पिसरान श्री बिरघा
3. गोमा उम्र 40 साल
4. ब्रह्म उम्र 55 साल
5. भागचन्द उम्र 32 साल पुत्र देवीसिंह पुत्र बिरघा
6. सेठू उम्र 20 साल पुत्र देवीसिंह पुत्र बिरघा
7. श्रीमति बदामी उम्र 50 साल बैवा श्री देवीसिंह पुत्र बिरघा

सभी जाति रावतान निवासीयान गांव श्योपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. मोहन उम्र 55 साल पुत्र आसू पुत्र हुक्मा
2. पप्पू उम्र 35 साल पुत्र मेवा पुत्र आसू
3. श्रीमति घीसी उम्र 56 साल बैवा मेवा
4. श्रीमति जडाव उम्र 35 साल बैवा हीरा पुत्र आसू
5. कालू उम्र 19 साल पुत्र हीरा
6. छोटू उम्र 10 साल नाबालिग पुत्र हीरा जरिये नेक्सट फ्रेन्ड माता कुदरती वली मु0 जडाव बैवा हीरा प्रतिवादी संख्या 4

समस्त जाति रेगर निवासीयाना लोडियाना तहसील मसूदा

7. श्रीमति हगामी उम्र 49 साल पुत्री आसू जाति रेगर निवासी बाघमाल नज्द नन्दवाडा तहसील मसूदा
8. श्रीमति मीरा उम्र 53 साल पुत्री आसू जाति रेगर निवासी मसूदा तहसील मसूदा
9. श्रीमति बरजी उम्र 50 साल बैवा हजारी
10. रतन उम्र 50 साल पुत्र सुवा

दोनों जाति रेगर निवासीयान श्योपुरा तहसील मसूदा पो0 ओ0 देवमाली

11. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मसूदा

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान क.ाश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

उक्त दोनों वाद एक ही विषय वस्तु को लेकर प्रस्तुत हुए है अतः इन्हे अमल गमेटेड किया गया और दोनों पर एक ही संयुक्त निर्णय पारित करना न्यायोचित पाते हुए यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

वादी रतना ने अपने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का केलू भू0 अ0 नि0 क्षेत्र व तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 329 रक्बा 0.809 किस्म बा0 3 वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तेनी भूमि है जिस पर वादी ने अपने निजी उपयोग उपभोग हेतु झोपडीनुमा आवास बना रखे है तथा काश्त करते आये है उसका उपयोग उपभोग वादी अपने सहखातेदारान के साथ वादी संयुक्त रूप से करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण इस पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसके लिए मना करने पर झगडा करते है और धमकियां देते है और विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण इसमें सफल हो गये तो वादी को असहनीय क्षति होगी अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा निषेध किया जावे।

पश्चावर्ती वाद स0 103/2011 में वादीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख0 न0 329 रक्बा 10 बिस्वा साबिक न0 181 रक्बा 8–10–00 बीघा किस्म बरडा से बने है की वादीगण के पिता/पति स्व0 देवीसिंह ने विवादित आराजी से लगायत ख0 न0 330 व 332 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1984 को खरीद की थी तब से वादीगण विवादित आराजी पर काबिज चले आ रहे है। स्व0 देवीसिंह और उसके भाईयों ने इस पर आवास हेतु अपने अपने पक्के मकान एवं बाडे बना लिए थे। जिन से यह जमीन खरीदी उनका 60 वर्शो से इस पर कब्जा चला आता था। प्रतिवादीगण को कोई कृषि भूमि या मकानात विवादित आराजी के पास स्थित नही है उनके करीबन 200 – 300 फिट दूरी पर मकानात है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है। वादीगण के मकानों में विद्युत कन्क्शन 1991 से लगे है। विवादित आराजी 329 का साबिक न0 181 था जो सरकारी खाते की भूमि थी जो जमाबंदी संवत् 2023–26 एवं गिरदावरियां 2031–34 व 2036–40 से साबित है। लेकिन सेटलमेंट के बाद प्रभाव में आई सफाई खतौनी 2041 में प्रतिवादी स0 10 रतना का नाम बहैसियत खातेदार बिना किसी क्षेत्राधिकार के सेटलमेंट कारकूनों द्वारा दर्ज कर दिया गया है जो सर्वथा गैरकानूनी एवं अवैध है। क्योंकि उन्हें प्रविष्टि को ही दोहराना था यह इन्द्राज जरिये भू अलोटमेंट कमेटी द्वारा पारित आदेश से नही किये गये है। प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज बाबत् विधिक रूप से कोई नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है।

विवादित आराजी में रहे सहखातेदार स्व0 आसू वल्द हुक्मा का परिवार ग्राम श्योपुरा की अपनी भूमियों और मकानात को बेचकर ग्राम लोडियाना में बस गया है वही उसके पुत्रान मेना व हीरा गुजरे है। हजारी 20 वर्ष पूर्व गूजर चुका है। रतना के मकान व बाडे व कृषि भूमियां ग्राम में अलग से स्थित है जो 1/2 किलोमीटर दुर है। वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा मुखालफाना हो चुका है। अतः वे कब्जा मुखालफाना एवं धारा 27 लिमिटेशन एक्ट तथा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसमें खातेदार खातेदार हो चुके है। वादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है। बावजूद इसके वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा धमकियां दे रहा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा निषेध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है वाद बहक वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज आसू/हुक्मा, हजारी/सुवा व रतना व रतना/सुवा का नाम जो वर्किंग जमाबदी से गलत दर्ज चला आ रहा है उन्हे निरस्त किया जावे यह घोषित किया जावे कि वे विवादित आराजी में

खातेदार काश्तकार नही है। यथानुसार दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण 1–11 के स्थान पर वादीगण के नाम का राजस्व जमाबंदी में अमल किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से निषेध किया जावे।

ये दोनों काउन्टर वाद परस्पर एक ही विषय वस्तु को लेकर प्रस्तुत किये गये है इसलिए यह स्वतः ही तय है कि एक वाद दुसरा प्रतिवाद है यही मानते हुए दोनों प्रकरणों में से संयुक्त रूप से निम्न तनकियात कायम की जाती है–

मैने वकुलाए फरीकेन द्वारा बहस में दिये गये तर्क विर्तक सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षान ने दोनों ही प्रकरणों में कोई शहादत नही करवाई है। उभय पक्षान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात को इसी आधार पर निम्न प्रकार तय किया जाता है–

तनकी– 1 आया वादी रतना विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है?

इसका भार वादी पर रहा है और उसने इसे सिद्व करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम श्योपुरा तहसील मसूदा की जमाबंदी सवत् 2060–63 के खाता स0 6 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार विवादित आराजी ख0 न0 329 में आसू वल्द हुक्मा तथा हजारी रतना पिता सुवा खातेदार दर्ज है। वकील वादी के तर्क रहे कि वादी विवादित भूमियें साधिकार खातेदार होकर झोपडी आदि बना कर कब्जे उपभोग में चला आता है जिसे प्रतिवादीगण 1–5 जबरन बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा एसी धमकियां दे रहे है इसलिए मेरा वाद स्वीकार कर उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे। वितर्क में वकील प्रतिवादीगण के तर्क रहे कि वादी का विवादित आराजी पर कोई वजूद ही नही है यह सरकारी भूमि थी जिसमें भूसंशोधन में आई वर्किंग जमाबंदी में सेटलमेंट कर्मियों द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के वादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया गया है उन्हे केवल पूर्व के इन्द्राजात का हुबहू इन्द्राज ही करना चाहिए था इससे विवादित आराजी में वादी के कोई अधिकार उत्पन्न नही हुए। वादी के खेत व मकान विवादित आराजी से दुर है मेरे पक्षकारान के पिता/पति स्व0 देवीसिंह द्वारा विवादित आराजी से लगायत भूमि ख0 न0 330 व 332 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1984 में खरीद की थी तब से हम इसमे पक्के मकानात एवं बाडे बनाकर कब्जे उपभोग में चले आते है विवादित आराजी में वादी अकेला खातेदार नही है उसने सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है अतः वाद वादी रतना आवश्यक पक्षकारान के असंयोजन में खारिज किया जावे तथा हमें विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जावे। क्योंकि विधिक प्रावधानानुसार हम इसमें खातेदार काश्तकार हो चुके है। एक शपथ पत्र मोहन पुत्र आसू ने पेश कर विवादित आराजी में उनके कोई हक व अधिकार नही होने के कथन किये है काबिज लोग ही मालिक है।

दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रतना क्लीन हेण्ड न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है उसने विवादित आराजी में खातेदार आसू पुत्र हुक्मा जो 1/2 हिस्से का हिस्सादार है व हजारी पुत्र सुवा जो 1/4 हिस्से का हिस्सेदार है को पक्षकार नही बनाया है। एसी स्थिति में वादी रतना का वाद पक्षकारान के असंयोजन में ग्राहय योग्य नही है। अलावा इसके वादी रतना अभिलेख की स्थिति अनुसार विवादित आराजी में विधिक रूप से आवटी नही है। लेकिन विवादित आराजी सरकारी सिवायचक भूमि रही है अतः सेटलमेंट से मिली खातेदारी एक पिक्सल एन्ट्री होने से स्वीकार योग्य नही है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की खातेदारी प्रभाव शुन्य होने से स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। वादी तनकी अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

तनकी– 2 आया पश्चावर्ती वाद के वादीगण धर्मा वगैरह विवादित आराजी में खातेदार का तकार होने की घोशणा करवाने का अधिकारी है? तथा आसू वल्द हुक्मा

हजारी वल्द सुवा व वादी रतना के नाम जो गलत लगे है को अपास्त करवाने एवं स्वयं के नाम लगवाने के अधिकारी है?

इसका भार पूर्ववर्ती वाद के प्रतिवादी तथा पश्चावर्ती वाद के वादीगण पर रहा है उन्होंने इसे सिद्ध करने लिए दस्तावेजी साक्ष्य में गिरदावरियां सवत् 2023–2026, 2027–30, 2031–34 तथा 2036–2039 पेश की है मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जिसके अनुसार विवादित आराजी ख0 न0 329 के साबिक न0 181 रहे है जो सरकारी सिवायचक भूमि थी गिरदावरियों में सवत् 2023–26 की गिरदावरी में धन्ना, छोगा वगैरह का नाम अंकित है शेष में विवादित आराजी नाकाबिल काश्त बंजर दर्ज की जाती रही है। वकील वादी एवं प्रतिवादी के तर्क वितर्क सुने। वादीगण के वकील श्री मिश्रा के तर्क रहे कि वे अर्सेदराज से अपील सेटलमेंट से पहले विवादित आराजी में अवासीय मकानात बनाकर निवास करते चले आ रहे है सन् 1991 में हमें सरकार द्वारा विद्युत कन्क्शन भी दिये जा चुके है। वादी रतना व अन्य को क्षेत्राधिकार से बाहर खातेदारी दी गई है खारिज की जावे। प्रतिवादी वकील श्री कलवार के तर्क रहे कि में विवादित आराजी में खातेदार हूॅ और कब्जे उपयोग में हूॅ प्रतिवादीगण मुझे बेदखल करने पर आमादा है इसलिए उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे। अभिलेख की स्थिति अनुसार विवादित आराजी में आसू पुत्र हुक्मा व हजारी, रतना पिता सुवा रेगर खातेदार काश्तकार है। जो सेटलमेंट से अतः मान्य नही है क्योंकि वादीगण मकानात आदि बनाकर तथा उनको सेटलमेंट में बहैसियत बानोफाइड पर्चेजर काबिज चले आ रहे है नियमानुसार बाद जांच कुटीर परियोजनार्थ के विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके है अतः वादीगण विवादित आराजी में साधिकार कब्जे उपयोग उपभोग में पाये जाते है तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी– 3 आया पश्चावर्ती वाद के वादीगण धर्मा वगैरह पूर्ववर्ती वाद के वादी रतना एवं आसू के वारिसान के विरूद्व स्थाई निशेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है?

इसका भार वादीगण पर रहा है तनकी 2 जब वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल अतः वादीगण निषेधाज्ञा के अधिकारी है।

अनुतोश?

अतः पूर्ववर्ती वाद पक्षकारान के असयोजन में खारिज किया जाता है तथा पश्चावर्ती वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा पश्चावर्ती वाद डिक्री किया जाकर ग्राम श्योपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर के खसरा नम्बर 329 रक्बा 00–10–00 बिस्वा में पश्चावर्ती वाद के वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते है प्रतिवादीगण को वादीगण के आराजी में कार्यवाही दखलंदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा मुमानियत की जाती है

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 14:15:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: